

संविधान का राजनीतिक दर्शन

इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न – उत्तर सहित। पहले खुद हल करने की कोशिश करो, फिर उत्तर मिलाओ।

अभ्यास प्रश्न-उत्तर (हर टॉपिक से)

» संविधान के दर्शन का आशय

प्रश्न 1 (आसान). संविधान को केवल कानूनों का संग्रह क्यों नहीं मानना चाहिए?

उत्तर – क्योंकि इसके पीछे एक नैतिक दृष्टि और दार्शनिक आधार होता है।

प्रश्न 2 (आसान). 'संविधान का दर्शन' किन तीन मुख्य बातों से बनता है?

उत्तर – अवधारणाओं, आदर्शों और संविधान सभा की बहसों से।

प्रश्न 3 (मध्यम). एक उदाहरण दो जिससे पता चले कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है।

उत्तर – भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाला कानून 'समानता' के नैतिक मूल्य से जुड़ा है।

प्रश्न 4 (कठिन). आपको क्यों लगता है कि संविधान के 'राजनीतिक दर्शन' को समझना आज के समय में महत्वपूर्ण है, जबकि संविधान बहुत पहले बन चुका है?

उत्तर – संविधान के राजनीतिक दर्शन को समझना आज भी महत्वपूर्ण है ताकि हम संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जान सकें, उनकी व्याख्याओं को समझ सकें और यह पहचान सकें कि कौन सी व्याख्या सही है। यह हमें वर्तमान में संविधान के आदर्शों को मिल रही चुनौतियों को समझने और उनका जवाब देने में मदद करता है।

» संविधान: लोकतांत्रिक बदलाव का साधन

प्रश्न 5 (आसान). संविधान का एक मुख्य कार्य सरकार की शक्ति पर _____ लगाना है। (सही शब्द भरें)

उत्तर – अंकुश

प्रश्न 6 (आसान). क्या संविधान केवल सत्ता को रोकने का काम करता है या समाज में बदलाव भी लाता है?

उत्तर – यह समाज में बदलाव भी लाता है।

प्रश्न 7 (मध्यम). जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की माँग को किस चीज़ का प्रतिरूप बताया था?

उत्तर – उन्होंने इसे 'पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक माँग का प्रतिरूप' बताया था।

प्रश्न 8 (कठिन). भारतीय संविधान ने किन शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीकों से समाज के पारंपरिक ढाँचे को तोड़ने में मदद की है? विस्तार से समझाएँ।

उत्तर – संविधान ने कानून बनाकर, जैसे अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17), सभी नागरिकों को समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) देकर, और पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) करके समाज के पारंपरिक ढाँचे को तोड़ने में मदद की है। ये सभी बदलाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शांतिपूर्ण तरीकों से हुए हैं।

» संविधान सभा की बहसों का महत्व

प्रश्न 9 (आसान). हमारे संविधान को 'जीवित दस्तावेज़' क्यों कहा जाता है?

उत्तर – क्योंकि यह समय और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता रखता है।

प्रश्न 10 (आसान). संविधान निर्माताओं की 'मंशा' को जानना क्यों ज़रूरी है?

उत्तर – ताकि हम संविधान की मूल भावना और उसके पीछे के उद्देश्यों को समझ सकें।

प्रश्न 11 (मध्यम). संविधान सभा की बहसों का अध्ययन हमें 'वर्तमान संवैधानिक व्यवहारों' को समझने में कैसे मदद करता है?

उत्तर – यह हमें बताता है कि संविधान के प्रावधानों को किन परिस्थितियों में और किस उद्देश्य से बनाया गया था, जिससे हम आज भी उनका सही अर्थ समझ पाते हैं और उन्हें वर्तमान संदर्भ में लागू कर पाते हैं।

प्रश्न 12 (कठिन). क्या आप मानते हैं कि 'अमेरिका' और 'भारत' के संदर्भ में संविधान सभा की बहसों का महत्व अलग-अलग है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।

उत्तर – हाँ, अमेरिका में संविधान बहुत पहले 18वीं सदी में बना था, इसलिए आज के समय में उसके निर्माताओं की मंशा को सीधे-सीधे लागू करना कठिन हो सकता है। जबकि भारत में, संविधान निर्माण और वर्तमान स्थितियों के बीच 'कोई क्रांतिकारी बदलाव' नहीं आया है। हमारे मूल्य और आदर्श अब भी संविधान सभा की सोच से जुड़े हैं, इसलिए हमारी बहसों का अध्ययन आज भी बेहद प्रासंगिक है। जब 'संवैधानिक व्यवहार-बरताव को चुनौती मिले', तो हमें पीछे मुड़कर देखना ज़रूरी हो जाता है।

» भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन

प्रश्न 13 (आसान). भारतीय संविधान के किन्हीं दो राजनीतिक दर्शनों का उल्लेख करें।

उत्तर – व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय।

प्रश्न 14 (आसान). हमारे संविधान में 'धर्मनिरपेक्षता' का क्या अर्थ है?

उत्तर – राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा।

प्रश्न 15 (मध्यम). भारतीय संविधान में 'सामाजिक न्याय' की अवधारणा को एक उदाहरण सहित समझाएँ।

उत्तर – सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों को समानता और गरिमापूर्ण जीवन का अवसर मिले। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान।

प्रश्न 16 (कठिन). आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का उदारवाद पश्चिमी उदारवाद से कुछ मायनों में भिन्न है?

उत्तर – भारतीय संविधान का उदारवाद पश्चिमी शास्त्रीय उदारवाद से इस मायने में भिन्न है कि यह केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर नहीं देता, बल्कि सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन-मूल्यों को भी महत्व देता है। यह समुदायों के अधिकारों को भी मान्यता देता है, जबकि पश्चिमी उदारवाद अक्सर व्यक्ति पर ही केंद्रित रहता है।

» व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबद्धता

प्रश्न 17 (आसान). भारतीय संविधान व्यक्ति की किस बात के लिए प्रतिबद्ध है?

उत्तर – व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रश्न 18 (आसान). अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है?

उत्तर – अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी।

प्रश्न 19 (मध्यम). व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता भारतीय संविधान में कैसे आई, क्या यह अचानक हुई थी?

उत्तर – नहीं, यह लगभग एक सदी तक चले बौद्धिक और राजनीतिक संघर्षों का परिणाम है।

प्रश्न 20 (कठिन). राजा राममोहन राय ने किस स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था? इस विरोध का व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या संबंध था?

उत्तर – उन्होंने प्रेस की आज़ादी की काट-छाँट का विरोध किया था। उनका तर्क था कि व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों और विचारों को व्यक्त करने का साधन मिलना चाहिए, और इसके लिए प्रकाशन की असीमित आज़ादी ज़रूरी है। यह सीधे तौर पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा था।

» सामाजिक न्याय की अवधारणा

प्रश्न 21 (आसान). भारतीय संविधान किस प्रकार की स्वतंत्रता के साथ-साथ 'सामाजिक न्याय' को भी महत्व देता है?

उत्तर – भारतीय संविधान 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के साथ-साथ 'सामाजिक न्याय' को भी महत्व देता है।

प्रश्न 22 (आसान). अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अवधारणा का उदाहरण है?

उत्तर – यह 'सामाजिक न्याय की अवधारणा' का उदाहरण है।

प्रश्न 23 (मध्यम). 'सामाजिक न्याय' से क्या तात्पर्य है और यह 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर – 'सामाजिक न्याय' का अर्थ है समाज में सभी लोगों, विशेषकर ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। यह 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' से भिन्न है क्योंकि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' केवल व्यक्ति की आज़ादी पर केंद्रित है, जबकि 'सामाजिक न्याय' असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष हस्तक्षेप की बात करता है।

प्रश्न 24 (कठिन). संविधान निर्माताओं को क्यों लगा कि सिर्फ 'समानता का अधिकार' देना सामाजिक न्याय के लिए पर्याप्त नहीं होगा?

उत्तर – संविधान निर्माताओं को लगा कि सदियों के 'अन्याय और भेदभाव' के कारण कुछ वर्ग बहुत पीछे छूट गए थे। सिर्फ 'समानता का अधिकार' दे देने से वे अचानक बाकी समाज के बराबर नहीं आ पाते। उन्हें ऊपर उठाने और उन्हें 'वास्तविक अर्थों में समान अवसर' देने के लिए 'विशेष उपायों' की आवश्यकता थी, जैसे कि आरक्षण, ताकि वे 'historical disadvantages' को पार कर सकें।

» विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान

प्रश्न 25 (आसान). हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए किन दो खास तरह के अधिकारों की बात की गई है?

उत्तर – सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।

प्रश्न 26 (आसान). संविधान अल्पसंख्यकों को अधिकार क्यों देता है? एक मुख्य कारण बताओ।

उत्तर – ताकि कोई समुदाय दूसरे पर हावी न हो सके।

प्रश्न 27 (मध्यम). अगर एक धार्मिक समुदाय अपनी शिक्षण संस्था खोलना चाहे, तो क्या संविधान उन्हें इसकी अनुमति देता है? हाँ या नहीं, और क्यों?

उत्तर – हाँ, संविधान इसकी अनुमति देता है ताकि वे अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रख सकें।

प्रश्न 28 (कठिन). समुदायों के बीच बराबरी का रिश्ता बनाना भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए क्यों मुश्किल चुनौती थी?

उत्तर – क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता था, और जब वे बराबर माने जाते थे, तो कभी-कभी प्रतिद्वंद्वी बन जाते थे। ऐसे में बराबरी का रिश्ता कायम करना कठिन था।

» भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अनूठी समझ

प्रश्न 29 (आसान). भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य किस पर जोर देता है: धर्म से पूर्ण अलगाव या सिद्धांतगत दूरी?

उत्तर – सिद्धांतगत दूरी

प्रश्न 30 (आसान). क्या भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में कभी हस्तक्षेप कर सकता है?

उत्तर – हाँ, आवश्यकतानुसार

प्रश्न 31 (मध्यम). भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस उद्देश्य के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति देती है?

उत्तर – स्वतंत्रता और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए।

प्रश्न 32 (कठिन). पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक उदाहरण से स्पष्ट करें।

उत्तर – पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के 'पूर्ण अलगाव' पर बल देती है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता 'सिद्धांतगत दूरी' बनाए रखते हुए 'आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप' की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी मॉडल में राज्य किसी धार्मिक प्रथा, भले ही वह भेदभावपूर्ण हो, में शायद ही दखल देगा, जबकि भारतीय राज्य छुआछूत जैसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए कानून बना सकता है।

» सार्वभौम मताधिकार की उपलब्धि

प्रश्न 33 (आसान). सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ है?

उत्तर – सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार।

प्रश्न 34 (आसान). क्या भारत ने इसे पश्चिमी देशों से पहले अपनाया?

उत्तर – हाँ, भारत ने इसे पश्चिमी देशों से पहले ही अपना लिया था।

प्रश्न 35 (मध्यम). सार्वभौम मताधिकार को अपनाना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण 'उपलब्धि' क्यों मानी जाती है?

उत्तर – यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि इसने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक भागीदारी का अवसर दिया, जबकि कई पुराने लोकतंत्रों में यह अधिकार देर से मिला।

प्रश्न 36 (कठिन). आप कैसे कह सकते हैं कि 'सार्वभौम मताधिकार' भारतीय राष्ट्रवाद के 'बीज-विचारों' में से एक था?

उत्तर – भारतीय राष्ट्रवाद समानता, न्याय और आत्मनिर्णय पर आधारित था। सार्वभौम मताधिकार ने यह सुनिश्चित किया कि देश का हर नागरिक, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सरकार बनाने में समान भागीदार हो, जो इन बुनियादी विचारों की सीधी अभिव्यक्ति थी।

» असममित संघवाद (अनुच्छेद 371)

प्रश्न 37 (आसान). अनुच्छेद 371 किस अवधारणा से जुड़ा है?

उत्तर – असममित संघवाद

प्रश्न 38 (आसान). क्या अनुच्छेद 371 केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है?

उत्तर – नहीं, यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के लिए है, पर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के लिए भी ऐसे प्रावधान हैं।

प्रश्न 39 (मध्यम). असममित संघवाद का क्या अर्थ है?

उत्तर – इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार मजबूत होने के बावजूद, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों (राज्यों) की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर होता है, उनकी विशेष जरूरतों को देखते हुए।

प्रश्न 40 (कठिन). अनुच्छेद 371A नागालैंड के लिए क्या खास प्रावधान करता है?

उत्तर – यह नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता देता है, आप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा करता है, और भूमि व संसाधनों के स्वामित्व संबंधी विशेष अधिकार देता है।

» राष्ट्रीय पहचान का निर्माण

प्रश्न 41 (आसान). राष्ट्रीय पहचान और क्षेत्रीय पहचान में क्या अंतर है?

उत्तर – राष्ट्रीय पहचान पूरे देश की सामूहिक पहचान है, जबकि क्षेत्रीय पहचान किसी खास राज्य या इलाके से जुड़ी होती है।

प्रश्न 42 (आसान). क्या संविधान धार्मिक पहचान को पूरी तरह खत्म करता है?

उत्तर – नहीं, संविधान धार्मिक पहचान को मान्यता देता है, पर राष्ट्रीय पहचान के साथ संतुलन बनाता है।

प्रश्न 43 (मध्यम). किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता दी जाती है?

उत्तर – कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब अलग-अलग पहचानों से राष्ट्रीय एकता या सहज राष्ट्रीय जीवन में बाधा आ सकती हो, तब राष्ट्रीय पहचान को वरीयता दी जाती है।

प्रश्न 44 (कठिन). पृथक निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर संविधान निर्माताओं की क्या सोच थी?

उत्तर – संविधान निर्माताओं ने इसे राष्ट्रीय जीवन की सहजता में बाधा और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानते हुए अस्वीकार कर दिया, न कि सिर्फ इसलिए कि यह भेदभाव करता था।

» प्रक्रियागत उपलब्धियाँ (विचार-विमर्श और सुलह)

प्रश्न 45 (आसान). प्रक्रियागत उपलब्धियों में संविधान का विश्वास किसमें था?

उत्तर – राजनीतिक विचार-विमर्श में

प्रश्न 46 (आसान). संविधान निर्माताओं ने असहमति को कैसा मूल्य माना?

उत्तर – सकारात्मक मूल्य

प्रश्न 47 (मध्यम). 'सुलह और समझौता' से क्या तात्पर्य है?

उत्तर – सुलह और समझौता मतलब सबकी भलाई के लिए बीच का रास्ता निकालना, ताकि ज्यादातर लोग किसी फैसले से सहमत हों।

प्रश्न 48 (कठिन). संविधान सभा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर किस प्रकार निर्णय लेने का प्रयास किया गया?

उत्तर – संविधान सभा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुमत के बजाय सर्वानुमति से निर्णय लेने का प्रयास किया गया, ताकि सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान हो सके।

» भारतीय संविधान की आलोचनाएँ

प्रश्न 49 (आसान). भारतीय संविधान की कोई एक आलोचना बताइए।

उत्तर – यह संविधान अस्त-व्यस्त है।

प्रश्न 50 (आसान). संविधान की 'सभी की नुमाइंदगी न कर पाना' वाली आलोचना का क्या मतलब है?

उत्तर – इसका मतलब है कि संविधान सभा के सभी सदस्य 'सार्वभौम मताधिकार' से नहीं चुने गए थे, जिससे सबकी 'आवाज़' शामिल नहीं हो पाई।

प्रश्न 51 (मध्यम). संविधान को 'विदेशी दस्तावेज़ की नकल' क्यों कहा जाता है?

उत्तर – क्योंकि इसके बहुत से प्रावधान 'पश्चिमी संविधानों' से लिए गए हैं और कुछ आलोचकों को लगता है कि यह 'भारतीय सांस्कृतिक भावबोध' से मेल नहीं खाता।

प्रश्न 52 (कठिन). भारतीय संविधान को 'अस्त-व्यस्त' कहने के पीछे क्या तर्क है और यह आरोप कितना सही है?

उत्तर – आलोचक इसे 'अस्त-व्यस्त' इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे विस्तृत प्रावधान और नियम एक साथ समाहित हैं, जो इसे एक 'लंबा' और 'जटिल' दस्तावेज़ बनाते हैं। वे चाहते थे कि संविधान 'संक्षिप्त' हो। हालांकि, यह पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि हमारे निर्माताओं ने जानबूझकर हर 'detail' शामिल की ताकि 'भविष्य' में कोई 'भ्रम' न हो और 'कानूनी विवाद' कम हों। यह 'विवरण' की 'पूर्णता' है, 'अव्यवस्था' नहीं।

» आलोचनाओं की सत्यता और खंडन

प्रश्न 53 (आसान). भारतीय संविधान में कौन से पश्चिमी विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है?

उत्तर – मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा।

प्रश्न 54 (आसान). संविधान को केवल 'विदेशी नकल' कहना क्यों गलत है?

उत्तर – क्योंकि इसमें भारतीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव और अनुकूलन किया गया है।

प्रश्न 55 (मध्यम). संविधान को 'संकर-संस्कृति' का परिणाम क्यों कहा जाता है?

उत्तर – क्योंकि यह पश्चिमी आधुनिक विचारों और स्थानीय भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था का रचनात्मक मेल है, जिससे एक अद्वितीय भारतीय संवैधानिक ढाँचा बना।

प्रश्न 56 (कठिन). क्या भारतीय संविधान निर्माताओं ने किसी प्रावधान को अन्य देशों से लेते समय उसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव किया? एक उदाहरण से स्पष्ट करें।

उत्तर – हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए, 'Fundamental Rights' हमने 'American Constitution' से लिए, लेकिन 'reasonable restrictions' (उचित प्रतिबंध) का प्रावधान जोड़कर इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया, जो 'American Bill of Rights' में नहीं था। यह दर्शाता है कि यह केवल नकल नहीं, बल्कि 'सोचा-समझा अनुकूलन' (thoughtful adaptation) था।

» संविधान की सीमाएँ

प्रश्न 57 (आसान). संविधान की एक सीमा बताओ जहाँ केंद्र को बहुत शक्ति दी गई है?

उत्तर – राष्ट्रीय एकता की केंद्रीकृत धारणा।

प्रश्न 58 (आसान). 'Fundamental Rights' और 'Directive Principles' में से किसे अदालत में लागू कराया जा सकता है?

उत्तर – मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)।

प्रश्न 59 (मध्यम). लिंगगत न्याय के संबंध में संविधान की क्या सीमा बताई गई है?

उत्तर – परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर अपर्याप्त ध्यान।

प्रश्न 60 (कठिन). कुछ सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के बजाय 'नीति-निर्देशक तत्वों' में क्यों रखा गया, इसे एक 'सीमा' क्यों माना जाता है?

उत्तर – क्योंकि 'नीति-निर्देशक तत्व' अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, जिससे ये अधिकार नागरिकों के लिए सीधे तौर पर 'enforceable' नहीं होते, बल्कि सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं।

» संविधान का जीवंत दस्तावेज़ और भविष्य की दृष्टि

प्रश्न 61 (आसान). संविधान को 'जीवंत दस्तावेज़' कहने का क्या अर्थ है?

उत्तर – इसका अर्थ है कि संविधान स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलता और विकसित होता रहता है।

प्रश्न 62 (आसान). भारतीय संविधान के 'दर्शन' की उत्पत्ति कहाँ हुई थी?

उत्तर – इसकी उत्पत्ति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी।

प्रश्न 63 (मध्यम). 'हम भारत के लोग' का क्या महत्व है जब संविधान को जीवंत दस्तावेज़ के रूप में समझा जाता है?

उत्तर – 'हम भारत के लोग' इस बात पर ज़ोर देता है कि जनता स्वयं अपनी नियति की नियंता है और संविधान को जीवंत बनाए रखने की ज़िम्मेदारी जनता की ही है।

प्रश्न 64 (कठिन). संविधान के 'जीवंत दस्तावेज़' होने का सिद्धांत, संविधान में 'संशोधन' (amendments) की आवश्यकता को कैसे उचित ठहराता है?

उत्तर – जीवंत दस्तावेज़ होने का सिद्धांत यह बताता है कि समाज की बदलती ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संविधान में बदलाव यानी संशोधन आवश्यक हैं, ताकि वह हमेशा 'प्रासंगिक' और प्रभावी बना रहे।

हल किए हुए उदाहरण (step-by-step)

उदाहरण 1. भारतीय संविधान में 'स्वतंत्रता' शब्द के पीछे क्या दार्शनिक आधार है?

› पहला कदम: हमें यह देखना होगा कि 'स्वतंत्रता' शब्द संविधान के किन-किन हिस्सों में आता है (जैसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार)।

› दूसरा कदम: फिर हम सोचेंगे कि संविधान निर्माताओं ने 'स्वतंत्रता' को इतना महत्व क्यों दिया? क्या यह सिर्फ 'कुछ भी करने की आज़ादी' है या इसके कुछ नियम और सीमाएं भी हैं?

› तीसरा कदम: हम संविधान सभा की बहसों को याद करेंगे, जहाँ इस बात पर चर्चा हुई कि हर व्यक्ति की 'गरिमा' और 'विकास' के लिए 'स्वतंत्रता' कितनी ज़रूरी है।

› चौथा कदम: अंत में हम समझेंगे कि यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक 'दर्शन' है कि व्यक्ति को अपनी पसंद से जीने और आगे बढ़ने का अधिकार है, बशर्ते वह दूसरों को नुकसान न पहुँचाए।

उत्तर – भारतीय संविधान में 'स्वतंत्रता' के पीछे का दार्शनिक आधार 'व्यक्ति की गरिमा', 'विकास' और 'न्यायपूर्ण समाज' की स्थापना है, जहाँ हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के अपने सपनों को पूरा कर सके।

उदाहरण 2. भारतीय संविधान ने किस प्रकार 'सामाजिक असमानता' को कम करने में मदद की है? कोई दो उदाहरण दीजिए।

› पहला उदाहरण: भारतीय संविधान ने 'अनुच्छेद 17' के तहत 'अस्पृश्यता' (छुआछूत) को पूरी तरह समाप्त कर दिया और इसे दंडनीय अपराध बनाया।

› दूसरा उदाहरण: संविधान ने 'समानता का अधिकार' (अनुच्छेद 14-18) सुनिश्चित किया, जिससे सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के कानून के सामने समान माना गया और हर तरह की 'ऊँच-नीच' वाली प्रथाओं को खत्म करने की दिशा में काम किया गया।

› तीसरा उदाहरण: 'शिक्षा के अधिकार' और 'पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण' जैसे प्रावधानों ने भी समाज के कमज़ोर तबकों को ऊपर उठने का अवसर दिया है।

उत्तर – संविधान ने अस्पृश्यता को खत्म करके और समानता का अधिकार देकर सामाजिक असमानता को कम किया है।

उदाहरण 3. मान लीजिए, आज के समय में इंटरनेट पर 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (freedom of expression) की सीमा को लेकर कोई नया कानून बनाना है। इस विषय पर संविधान सभा की बहसों का अध्ययन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होगा?

› पहला कदम: हमें संविधान में दिए गए 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के अधिकार के मूल प्रावधानों को देखना होगा।

› दूसरा कदम: अब, संविधान सभा की बहसों में हमें यह देखना होगा कि जब यह अधिकार शामिल किया गया था, तब सदस्यों ने किन-किन पहलुओं पर विचार किया था। उन्होंने इसकी क्या सीमाएँ सोची थीं और क्यों? 'इस अधिकार को कैसे संतुलित किया जाए' – इस पर क्या चर्चा हुई थी?

› तीसरा कदम: हम देखेंगे कि 'किस हद तक यह अधिकार दिया जाना चाहिए' और 'समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है' – इन पर हुई बहस से हमें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मिलेगा।

› चौथा कदम: इन बहसों से हमें पता चलेगा कि निर्माताओं की 'मंशा और सरोकार' क्या थे, और किन 'नैतिक और सामाजिक मूल्यों' को ध्यान में रखा गया था।

› पांचवाँ कदम: इस गहरी समझ के आधार पर, हम आज की 'नई परिस्थितियों' जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया के संदर्भ में 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की सही 'व्याख्या' कर पाएँगे, और ऐसा कानून बना पाएँगे जो संविधान की 'मूल भावना' के अनुरूप हो।

उत्तर – संविधान सभा की बहसों का अध्ययन हमें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के अधिकार की 'मूल भावना', उसकी 'सीमाओं के औचित्य' और 'निर्माताओं के सरोकारों' को समझने में मदद करेगा, जिससे आज इंटरनेट पर इस अधिकार से जुड़े नए कानून को संविधान की आत्मा के अनुरूप बनाया जा सके।

उदाहरण 4. भारतीय संविधान के 'उदारवादी' चरित्र को स्पष्ट करें और उदाहरण दें।

› पहले यह बताएं कि उदारवादी होने का क्या मतलब है: 'liberal' संविधान व्यक्ति की 'individual freedom' यानी निजी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता है। यह सरकार की मनमानी शक्ति को सीमित करता है।

› उदाहरण दें: हमारा संविधान 'Right to Freedom of Expression' यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) देता है, 'arbitrary arrest' यानी मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा (अनुच्छेद 22) देता है।

› निष्कर्ष बताएं: ये प्रावधान दिखाते हैं कि हमारा संविधान व्यक्ति की आज़ादी को कितना महत्व देता है, जो इसके उदारवादी चरित्र को दर्शाता है।

उत्तर – भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को प्राथमिकता देता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा, जो इसके उदारवादी चरित्र को दर्शाता है।

उदाहरण 5. भारतीय संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाले किन्हीं दो उदाहरणों का उल्लेख करें।

› पहला उदाहरण है 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता'। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है, चाहे वह बोलकर हो, लिखकर हो या किसी और माध्यम से हो।

› दूसरा उदाहरण है 'मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार'। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी कारण या प्रक्रिया के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है, तो वह व्यक्ति अपने बचाव के लिए कानूनी सहायता मांग सकता है।

उत्तर – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता के दो मुख्य उदाहरण हैं।

उदाहरण 6. संविधान 'सामाजिक न्याय' को कैसे सुनिश्चित करता है? एक उदाहरण से समझाओ।

› पहला कदम: हमें समझना होगा कि 'social justice' का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि समाज में सभी लोगों को, खासकर उन लोगों को जो ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहे हैं, 'fair and equal treatment' मिले।

› दूसरा कदम: संविधान निर्माताओं ने देखा कि सिर्फ 'समानता का अधिकार' दे देना काफी नहीं है क्योंकि कुछ वर्ग 'backward' हैं।

› तीसरा कदम: इसलिए, उन्होंने 'special provisions' बनाए, जैसे 'reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes' (अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण)।

› चौथा कदम: यह आरक्षण 'विधायिका में सीटों के लिए' और 'सरकारी नौकरियों में' लागू किया गया, ताकि इन वर्गों को 'equal opportunities' मिल सकें और वे समाज के बाकी हिस्सों के बराबर आ सकें।

› पांचवां कदम: इस तरह, संविधान सिर्फ 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' ही नहीं, बल्कि 'सामाजिक न्याय' को भी पूरी तरह से 'support' करता है।

उत्तर – संविधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करके 'सामाजिक न्याय' सुनिश्चित करता है, जिससे उन्हें समान अवसर मिलें और वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

उदाहरण 7. संविधान अल्पसंख्यकों को कौन से विशेष अधिकार देता है और क्यों?

› संविधान 'cultural and educational rights' यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है।

› इन अधिकारों में शामिल है 'religious community' को अपनी 'educational institution' स्थापित करने और चलाने का अधिकार।

› इन संस्थाओं को सरकार 'funds' यानी धन भी दे सकती है।

› यह सब इसलिए है ताकि 'no community dominates another' – यानी कोई समुदाय दूसरे पर हावी न हो सके और सबकी पहचान बनी रहे।

उत्तर – संविधान अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है, जैसे अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार, ताकि कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमा सके और सबकी पहचान सुरक्षित रहे।

उदाहरण 8. भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है और यह पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है?

› सबसे पहले, 'धर्मनिरपेक्षता' का सामान्य अर्थ समझें: राज्य का किसी खास धर्म का पक्ष न लेना।

› फिर, पश्चिमी मॉडल को देखें: वहाँ 'धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव' है, यानी राज्य धर्म के मामलों में दखल नहीं देता, भले ही कोई धार्मिक प्रथा किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो।

› अब, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को समझें: यहाँ राज्य सभी धर्मों से 'सिद्धांतगत दूरी' बनाए रखता है, यानी किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता।

› लेकिन, एक महत्वपूर्ण अंतर है: भारतीय राज्य 'आवश्यकता पड़ने पर' धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।

› यह हस्तक्षेप 'स्वतंत्रता और समानता' जैसे संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए होता है, जैसे छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए।

› संक्षेप में, भारतीय धर्मनिरपेक्षता 'पूर्ण अलगाव' की बजाय 'सिद्धांतगत दूरी के साथ हस्तक्षेप' की अनुमति देती है।

उत्तर – भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों से एक सिद्धांतगत दूरी बनाए रखेगा, किसी का पक्ष नहीं लेगा। लेकिन यह पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, जहाँ धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव होता है। भारतीय राज्य स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकतानुसार धर्म के मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है।

उदाहरण 9. संविधान सभा ने सार्वभौम मताधिकार को क्यों अपनाया, जबकि उस समय दुनिया के कई विकसित देशों में ऐसा नहीं था?

› पहला कदम: हमें समझना होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम का आधार ही 'समानता और न्याय' था।

› दूसरा कदम: संविधान निर्माता एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहाँ 'किसी के साथ भेदभाव न हो', चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक।

› तीसरा कदम: सार्वभौम मताधिकार को अपनाकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि 'प्रत्येक नागरिक को सरकार चुनने का अधिकार' मिले, जो वास्तविक लोकतंत्र की नींव है।

› चौथा कदम: यह 'भारतीय राष्ट्रवाद के बीज-विचारों' में से एक था, जो 'आत्मनिर्णय और जनता की संप्रभुता' पर बल

देता था, इसलिए इसे शुरू से ही अपनाया गया।

उत्तर – संविधान सभा ने सार्वभौम मताधिकार को इसलिए अपनाया क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रवाद के समानता, न्याय और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के अनुरूप था, और यह भारत को एक सच्चे समावेशी लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण था।

उदाहरण 10. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा देता है और इसके पीछे क्या कारण है?

› पहचानो कि कौन-सा अनुच्छेद विशेष दर्जे से संबंधित है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 (और उसके उपखंड, जैसे 371A) इन विशेष प्रावधानों से संबंधित है।

› पता करो कि किन राज्यों को यह दर्जा मिला है: मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आदि को, साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ अन्य राज्यों को भी विशेष प्रावधान मिले हैं।

› समझो कारण क्या हैं: इन राज्यों की अनूठी सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय परंपराओं की रक्षा, भूमि अधिकारों का संरक्षण, और उनकी विशिष्ट ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह दर्जा दिया गया है। नागालैंड के मामले में, अनुच्छेद 371A वहाँ के मौजूदा नियमों को मान्यता देता है और स्थानीय पहचान को बाहरी लोगों के अप्रवास से बचाता है।

उत्तर – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 (विशेष रूप से 371A) नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा देता है। इसका मुख्य कारण उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय परंपराओं और भूमि अधिकारों की रक्षा करना है, ताकि ये राज्य अपनी विशिष्टता बनाए रखते हुए भारतीय संघ का हिस्सा बने रहें।

उदाहरण 11. संविधान सभा में 'पृथक निर्वाचन मंडल' के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि यह धार्मिक पहचान पर आधारित था?

› संविधान सभा में कुछ सदस्य चाहते थे कि धार्मिक समुदायों के लिए 'पृथक निर्वाचन मंडल' बनाए जाएं, यानी किसी खास धर्म के लोग केवल अपने धर्म के प्रतिनिधि को वोट दें।

› संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भले ही यह धार्मिक पहचान को मान्यता दे, लेकिन इससे राष्ट्रीय जीवन में रुकावट आएगी।

› उन्होंने तर्क दिया कि इससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दूरी बढ़ेगी और लोग सिर्फ अपने समुदाय के बारे में सोचेंगे, न कि पूरे देश के बारे में।

› इसलिए, राष्ट्रीय एकता और सहज राष्ट्रीय जीवन को प्राथमिकता देते हुए, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

उत्तर – पृथक निर्वाचन मंडल को इसलिए अस्वीकार किया गया क्योंकि इससे राष्ट्रीय-जीवन सहजता में बाधा पहुँचती और यह राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं था।

उदाहरण 12. भारतीय संविधान की प्रक्रियागत उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन करें।

› पहला पॉइंट: भारतीय संविधान का सबसे बड़ा विश्वास 'राजनीतिक विचार-विमर्श' में था। मतलब, हर मुद्दे पर 'discussion' करना, 'deliberate' करना।

› दूसरा पॉइंट: संविधान निर्माताओं ने 'असहमति' यानी 'disagreement' को एक अच्छी चीज़ माना। उन्हें लगा कि अलग-अलग विचार आने से ही सबसे अच्छा समाधान मिलता है।

› तीसरा पॉइंट: 'सुलह और समझौते' की भावना बहुत महत्वपूर्ण थी। 'Compromise' करना मतलब सबकी भलाई के लिए बीच का रास्ता निकालना, न कि अपनी बात थोपना।

› चौथा पॉइंट: 'महत्वपूर्ण मुद्दों' पर 'सर्वानुमति' यानी 'consensus' से फैसला लेने की कोशिश की गई, न कि सिर्फ बहुमत से।

› निष्कर्ष: इन सब तरीकों ने हमारे संविधान को 'strong' और 'flexible' बनाया।

उत्तर – भारतीय संविधान की प्रक्रियागत उपलब्धियों में राजनीतिक विचार-विमर्श में विश्वास, असहमति को सकारात्मक मूल्य के रूप में देखना, सुलह और समझौते की भावना से काम करना, तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वानुमति से निर्णय लेने का प्रयास करना शामिल है। इन मूल्यों ने संविधान को सर्वसम्मति से स्वीकार्य बनाने में मदद की।

उदाहरण 13. भारतीय संविधान की 'अस्त-व्यस्त' होने की आलोचना को विस्तार से समझाइए।

› पहला पॉइंट: यह आलोचना 'disorganized' या 'bulky' होने की बात करती है। कुछ आलोचकों का मानना था कि एक अच्छे संविधान को 'कसे हुए दस्तावेज़' के रूप में होना चाहिए, एकदम छोटा और 'precise' (सटीक)।

› दूसरा पॉइंट: लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? उन्होंने 'संविधान हैसियत' वाले बहुत से 'statements', 'details' और 'rules' को एक ही दस्तावेज़ में समेट लिया। जैसे, बहुत से देशों के संविधान में 'Election Commission' या 'Public Service Commission' के बारे में अलग से प्रावधान नहीं होते, पर हमारे संविधान में ये सब एक ही जगह मिलते हैं।

› तीसरा पॉइंट: तो यह 'अस्त-व्यस्त' इसलिए लगता है क्योंकि यह बहुत 'detailed' है, बहुत सारी बातों को एक साथ कवर करता है। इसका उद्देश्य था कि भविष्य में कम से कम 'disputes' हों और सब कुछ स्पष्ट हो। इसे 'verbose' या 'too elaborate' भी कहा जाता है।

उत्तर – संक्षेप में, 'अस्त-व्यस्त' आलोचना इस बात पर आधारित है कि भारतीय संविधान बहुत विस्तृत, लंबा और कई अनावश्यक विवरणों से भरा हुआ है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि संविधान को संक्षिप्त और केवल मूलभूत सिद्धांतों को कवर करने वाला होना चाहिए। हालांकि, हमारे निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि हर 'specific detail' एक ही 'document' में मौजूद रहे।

उदाहरण 14. भारतीय संविधान को 'विदेशी दस्तावेज़ की नकल' कहने की आलोचना का खंडन आप कैसे करेंगे? उदाहरण सहित समझाइए।

› पहले समझेंगे कि आलोचना क्या है: कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान में कई प्रावधान (जैसे मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली) 'Western constitutions' से लिए गए हैं, इसलिए यह मूल नहीं है, बस नकल है।

› अब खंडन पर आते हैं: हम कहेंगे कि यह केवल 'borrowing' नहीं है, बल्कि 'selective adaptation' और 'creative blending' है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के 'best practices' को देखा, लेकिन उन्हें 'blindly copy' नहीं किया।

› उदाहरण देंगे: जब हमने 'Fundamental Rights' का विचार 'American Constitution' से लिया, तो उसे हूबहू नहीं अपनाया। हमने उसमें 'reasonable restrictions' (उचित प्रतिबंध) का प्रावधान जोड़ा, जो 'Indian social context' के लिए बहुत ज़रूरी था।

› संकर-संस्कृति का महत्व: हम यह भी बताएंगे कि 'भारतीयों ने आधुनिक विचारों को आत्मसात किया' और 'पश्चिमी आधुनिकता तथा स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था' का एक 'रचनात्मक मेल' (creative synthesis) किया, जिससे एक 'hybrid constitution' बना जो भारत की 'diverse needs' को पूरा करता है।

उत्तर – भारतीय संविधान 'विदेशी दस्तावेज़ की नकल' नहीं है, बल्कि 'विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा' लेकर 'भारतीय संदर्भों के अनुरूप ढाला' हुआ एक 'अद्वितीय दस्तावेज़' है, जिसमें 'रचनात्मक मेल' की भावना निहित है।

उदाहरण 15. भारतीय संविधान में किन सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को शुरुआत में मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं बनाया गया था, और उन्हें कहाँ रखा गया?

› पहला कदम: हमें यह पहचानना होगा कि प्रश्न 'सामाजिक-आर्थिक अधिकारों' के बारे में पूछ रहा है, न कि राजनीतिक या नागरिक अधिकारों के बारे में।

› दूसरा कदम: याद करो कि 'मौलिक अधिकार' वो होते हैं जिन्हें 'enforce' किया जा सकता है, और 'नीति-निर्देशक तत्व' सिर्फ 'guidelines' होते हैं।

› तीसरा कदम: संविधान के 'Directive Principles' वाले खंड में 'right to work', 'right to adequate livelihood' (पर्याप्त आजीविका का अधिकार), और 'right to education' (शुरुआत में) जैसे अधिकारों को रखा गया था।

› चौथा कदम: ये अधिकार 'fundamental rights' नहीं थे, बल्कि 'Directive Principles of State Policy' का हिस्सा थे।

उत्तर – भारतीय संविधान में शुरुआत में 'काम का अधिकार', 'पर्याप्त आजीविका का अधिकार' और 'शिक्षा का अधिकार' जैसे बुनियादी सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं बनाया गया था। इन्हें 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों' में रखा गया था।

उदाहरण 16. संविधान को एक 'जीवंत दस्तावेज़' क्यों कहा जाता है? दो कारण बताइए।

› पहला कारण: 'The Constitution is flexible' – यानी इसमें 'संशोधन' (amendments) करने की व्यवस्था है। जैसे हमारी ज़रूरतें बदलती हैं, तो हम कानूनों को बदल सकते हैं।

› दूसरा कारण: 'Its interpretation changes with time' – अदालतों के 'फैसले' और लोगों की समझ के साथ इसकी 'व्याख्या' भी बदलती रहती है। एक ही कानून को समय के साथ अलग तरीके से समझा जा सकता है।

› तीसरा कारण: 'It incorporates new values' – जैसे-जैसे समाज में नए 'मूल्य' (values) आते हैं, संविधान उन्हें भी अपने अंदर समाहित करता चलता है।

उत्तर – संविधान को जीवंत दस्तावेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बदलती हुई सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने अंदर बदलाव कर सकता है और इसकी व्याख्या भी समय के साथ बदलती रहती है।

बोर्ड परीक्षा के लिए खास

- यह अवधारणा बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर 'संविधान के राजनीतिक दर्शन से आप क्या समझते हैं?' जैसे प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। इसे अच्छे से समझना ज़रूरी है।
- यह विषय बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संविधान के गहन उद्देश्य और प्रभाव को दर्शाता है। इससे जुड़े तर्क और उदाहरण अक्सर लंबे उत्तर वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं।
- यह प्रश्न 'संविधान के दर्शन' और 'संविधान की जीवंतता' से जोड़कर अक्सर पूछा जाता है। ध्यान रखें कि 'वर्तमान चुनौतियों' से निपटने में इन बहसों का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है।
- यह प्रश्न 'भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं' या 'संविधान के बुनियादी मूल्यों' के रूप में बोर्ड परीक्षा में अक्सर आता है। सभी पहलुओं को उदाहरणों के साथ अच्छी तरह से तैयार कर लेना।
- यह अवधारणा 'Fundamental Rights' और 'Preamble' के साथ जोड़कर अक्सर पूछी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम में इसके महत्व को उदाहरणों सहित याद रखना।
- यह अवधारणा बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय' और 'आरक्षण' के प्रावधानों को उदाहरणों के साथ स्पष्ट रूप से समझना और लिखना आना चाहिए।
- यह विषय 'धर्मनिरपेक्षता' और 'सामाजिक न्याय' से जुड़ा है, इसलिए बड़े प्रश्नों में इन अवधारणाओं को आपस में जोड़कर उत्तर लिखने का अभ्यास करें।
- यह अवधारणा बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इस पर 'पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से तुलना' करते हुए प्रश्न आते हैं, तो 'सिद्धांतगत दूरी' और 'हस्तक्षेप के कारण' को अच्छे से समझकर जाना।
- यह प्रश्न अक्सर 'भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक विशेषताओं' पर पूछे जाने वाले बड़े उत्तर वाले प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आता है, इसे विस्तार से समझाएं।
- यह अवधारणा बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 371 से जुड़े राज्यों के नाम और उन्हें विशेष दर्जा क्यों मिला है, इन बिंदुओं को अच्छे से समझ कर याद करें।
- यह विषय बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पृथक निर्वाचन मंडल के उदाहरण के साथ राष्ट्रीय पहचान की वरीयता पर सवाल आ सकते हैं।
- यह टॉपिक सीधे तौर पर बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको प्रक्रियागत उपलब्धियों के तीनों मुख्य बिंदुओं - विचार-विमर्श, असहमति को सकारात्मक देखना, और सुलह-समझौता - को विस्तार से समझना होगा।
- इन आलोचनाओं को केवल 'नकारात्मक' दृष्टिकोण से न देखें। परीक्षा में जब पूछा जाए, तो 'आलोचनाओं' के साथ-साथ उनके 'प्रति-तर्कों' को भी समझाना ज़रूरी है कि 'क्यों' संविधान निर्माताओं ने ऐसा किया।
- यह प्रश्न सीधे 'संविधान की सीमाओं' पर आ सकता है। तीनों मुख्य बिंदुओं को याद रखना और उन्हें उदाहरणों के साथ समझाना महत्वपूर्ण है।

एक नज़र में रिवीज़न

- › संविधान दर्शन: कानूनों से बढ़कर, नैतिक दृष्टि और आदर्शों का आधार।
- › संविधान: सत्ता पर अंकुश + लोकतांत्रिक सामाजिक बदलाव का साधन।
- › संविधान बहसों से निर्माताओं की मंशा और मूल्यों की गहरी समझ मिलती है।
- › संविधान का दर्शन: उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय, संघीय, राष्ट्रीय पहचान।
- › संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है, अभिव्यक्ति और मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा देता है।
- › संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक न्याय (आरक्षण) को प्राथमिकता देता है।
- › संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक-शैक्षिक अधिकारों का सम्मान कर सामुदायिक समानता बढ़ाता है।
- › भारतीय धर्मनिरपेक्षता: सिद्धांतगत दूरी + आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप (समानता/स्वतंत्रता हेतु)।
- › सभी वयस्क नागरिकों को समान वोट का अधिकार; पश्चिमी देशों से पहले भारत में।
- › असममित संघवाद: कुछ राज्यों को विशेष दर्जा (अनुच्छेद 371), विभिन्नता का सम्मान।
- › राष्ट्रीय पहचान को क्षेत्रीय/धार्मिक पहचानों से संतुलन; कुछ परिस्थितियों में वरीयता।
- › विचार-विमर्श, असहमति का सम्मान, सुलह-समझौता, सर्वानुमति - संविधान की प्रक्रियागत उपलब्धियाँ।
- › संविधान की आलोचनाएँ: अस्त-व्यस्त, नुमाइंदगी कम, विदेशी नकल।
- › संविधान की सीमाएँ: केंद्रीकृत एकता, लिंगगत न्याय में कमी, कुछ अधिकार नीति-निर्देशक तत्वों में।